उच्च न्यायालय की दूसरी बैंच स्थापित करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या लोक सभा के चुनाव अभियान के दौरान भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री शाहनवाज खां के चुनाव अभियान में तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के चुनाव अभियान में कई चुनाव सभाओं में इस निर्णय की घोषणा की गई थी; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार का विचार इस निर्णय को मानने का है और यदि हां, तो यह बैंच कब और कहां स्थापित की जायेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) से (ग). भारत सरकार ने ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया था ।

उर्वरक कारखानों की स्थापना में हुआ खर्च

4815. **श्री हरगोबिन्द वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कार्य कर रहे उर्वरक कारखानों की स्थापना पर कुल कितना खर्च हुआ है ; और

(ख) यह धनराशि किन स्रोतों से प्राप्त हुई और इसकी क्या शर्तें हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

Cases of Dacoity and Looting in running Trains in 1977

4816. SHRI KACHRULAL HEMRAJ JAIN: Will the Minister of Railway be pleased to state:

(a) the number of cases of dacoity and looting in running trains during the year 1977 uptodate;

(b) the amount of property involved and the loss sustained by the Railways;

(c) the number of persons killed or injured as a result of dacoity and looting in the running trains during that period; and

(d) whether any compensation has been paid to the injured or the kins of those killed persons and if so, the details thereof.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) There were 30 cases of dacoity and 78 cases of looting in running trains during the year 1977 upto 30-6-1977.

(b) Rs. 2,99,394/-.

(c) Three persons were killed and 41 persons were injured.

(d) No

न्यायाधीशों के रिक्त पद और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले

4817. **श्री मत्युंजय प्रसाद वर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्याय विभाग की वर्ष 1976-77 की रिपोर्ट में उल्लिखित न्यायाधीशों के 56 रिक्त पदों में से कितने पदों पर प्रत्येक न्यायालय में अब तक नई नियुक्तियां कर दी गई है ;

(ख) प्रतिवेदन प्रकाशित होने की तारीख से 30 जून 1977 तक कितने और पद रिक्त हुए है;

(ग) 1 जुलाई, 1977 को विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पदों की स्वीकृत संख्या कितनी थी और उनमें से कितने भर दिये गए है और कितने अभी रिक्त पड़े है;

(घ) प्रतिवेदन प्रकाशित होने के बाद दिसम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली और मार्च, 1977 को समाप्त होने वाली तिमाहियों